

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.147 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 07/12/2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्र प्रकरण क्रमांक-46/2018 म0प्र0 राज्य वि0 प्रभात नारायण शुक्ला वगै0 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक-2000086/2016 म0प्र0 राज्य वि0 प्रशांत मिश्रा वगै0 एक दूसरे के पूरक प्रकरण होने से श्री विवेकानंद त्रिवेदी पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक-2000086/2016 म0प्र0 राज्य वि0 प्रशांत मिश्रा वगै0 को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री आनंद गौतम सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

सही/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 5523 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 07/12/2023

प्रतिलिपि:-

1. पंचम/सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
4. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल एड्रेस में भेजने हेतु।

सही/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)